न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

2020-00119RAAJodhpur2020-53RTA225 Harisingh ors Vs Karansingh etc

1. हरिसिंह पुत्र लिछमणसिंह फौत के कायम मुकामः–
   1.1. उगम कंवर पत्नी स्व. हरीसिंह
   1.2. छतरसिंह पुत्र स्व. हरीसिंह
   1.3. रतनसिंह पुत्र स्व. हरीसिंह
   1.4. दाखु कंवर पुत्री स्व. हरीसिंह
   1.5. मूल कंवर पुत्री स्व. हरीसिंह
2. आसू कंवर पत्नी सगतसिंह
3. खेतसिंह पुत्र सगतसिंह
4. देवीसिंह पुत्र सगतसिंह
5. चन्दनसिंह पुत्र जालमसिंह
6. अणच कंवर पत्नी जालमसिंह
7. जेतसिंह उर्फ जितेन्द्रसिंह पुत्र जबर सिंह
8. रावल सिंह पुत्र जबर सिंह(नाबालिग संरक्षक जरिये माता शिवा कंवर पत्नी जबरसिंह जाति राजपूत)
9. शिवा कंवर पत्नी जबर सिंह
   सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण– ग्राम हिम्मतपुरा तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. कर्णसिंह उर्फ करण सिंह पुत्र मगसिंह
2. बाग सिंह पुत्र उम्मेदसिंह
3. कल्याण सिंह पुत्र उम्मेदसिंह
4. अन्तर कंवर पत्नी उम्मेदसिंह
5. इन्द्रसिंह पुत्र भीमसिंह फौत के कायम मुकामः–
   5.1. दरियाव कंवर पत्नी स्व. इन्द्रसिंह
   5.2. पृथ्वीसिंह पुत्र स्व. इन्द्रसिंह
   5.3. हड़वंतसिंह पुत्र स्व. इन्द्रसिंह
6. स्वरूपसिंह पुत्र भीमसिंह
7. गोविंदसिंह पुत्र मिठूसिंह
8. हिम्मतसिंह पुत्र मिठूसिंह
9. रेंवतसिंह पुत्र मिठूसिंह
10. कुन्दनसिंह पुत्र पपुसिंह

11. रतन कंवर पत्नी मिठूसिंह
12. रामसिंह पुत्र सांवतसिंह
13. सुगन कंवर पत्नी सांवतसिंह
14. भंवरी कंवर पुत्री माधोसिंह
15. नेरू कंवर पुत्री माधोसिंह

    सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण– ग्राम हिम्मतपुरा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेष दिनांक 27 दिसंबर 2019 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 19/2017 कर्णसिंह उर्फ करणसिंह व अन्य बनाम हरीसिंह इत्यादि

उपस्थित–

श्री उम्मेदसिंह बावरला, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री पुष्पेन्द्रसिंह भाटी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक
श्री नाहरसिंह सोलंकी, श्री पुष्पन्द्रसिंह, अधिवक्ता रेस्पो.संख्या दो से नौ, ग्यारह से पन्द्रह
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या सोलह

नि र्ण य

दिनांक : 09 जून 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 19/2017 कर्णसिंह उर्फ करणसिंह व अन्य बनाम हरीसिंह इत्यादि में पारित आदेष दिनांक 27 दिसंबर 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 20 मार्च 2020 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है किरेस्पोडेंट संख्या एक से छः ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काष्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 429 रकबा 47.11 बीघा ग्राम हिम्मतपुरा तहसील शेरगढ में आवागमन हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 408 रकबा 100.04 बीघा, रेस्पोडेंट संख्या सात से ग्यारह की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 414 रकबा 11.04 बीघा, रेस्पोडेंट संख्या बारह व तेरह की खातेदारी

भूमि खसरा नंबर 428 रकबा 38.07 बीघा तथा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 413, 425 एवं 427 में सें सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार मार्क ए.बी.सी. रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। अपीलांट्स की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया तथा मौका रिपोर्ट पर आपत्तियॉ प्रस्तुत की गई। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा आदेष दिनांक 27 दिसंबर 2019 के जरिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई।अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने अपनी में तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक से छः के अपने खातेदारी खेत खसरा नंबर 429 में आवागमन हेतु खसरा नंबर 408 व 428 में से कोई रास्ता नहीं है। खसरा नंबर 429 में आने–जाने हेतु खसरा नंबर 413, 415, 417, 419, 420 में रास्ता आया हुआ है जो मुख्य सड़क से मिलान करता है। रेस्पोडेंट संख्या एक से छः के आवागमन हेतु मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से अपीलाधीन रास्ता आत्यंतिक आवश्यकता का रास्ता नहीं होने से अपीलाधीन आदेश खारिज योग्य है। अपीलांट्स की भूमि खसरा नंबर 408 के चारो तरफ तारबंदी की हुई तथा खूंटे रोपे गये है। रेस्पोडेंट्स धनबल एवं प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव डालकर गलत तरीके से रास्ता निकालने पर आमादा है। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा तलब एकपक्षीय मौका रिपोर्ट दिनांक 20.11.2017 पर अपीलांट्स की ओर से आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा दोबारा मौका फर्द दिनांक 30.07.2019 तलब की गई। अपीलांट्स उक्त मौका फर्द अनुसार अपने खेत के बीच में से चलायमान रास्ता का अपने आवागमन हेतु भी उपयोग करते है तथा रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु भी उक्त रास्ता देने हेतु तैयार है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की सहमति को ध्यान में रखे बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन रास्ते के कारण अपीलांट्स की भूमि में से दो–दो रास्ते कायम हो गये है, जो कतई विधिसम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स की सहमति एवं धारा 251–ए के प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेष दिनांक 27 दिसंबर 2019 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए धारा 251–ए की मंशा के अनुरूप सभी पक्षकारान् के खेतों की माठ के सहारे–सहारे रास्ता प्रदान किया है, जिससे उभय पक्ष के खातेदारी खेतों की पहुंच रास्ते तक सुलभ हुई है। खसरा नंबर 408 के खातेदार/अपीलांट्स के अलावा अन्य सभी पक्षकार अपीलाधीन रास्ते से सहमत है, क्योंकि अपीलांट्स द्वारा अन्य पक्षकारों के खेत तक रास्ते की पहुंच नही होने देने की नियत से अपने खेत के बीच में से रास्ता देना चाहते है ताकि अन्य पक्षकार रास्ते से वचित रह सके। विचारण न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारान् के हित को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 11.11.2017 के अवलोकन मुताबिक उक्त मौका जांच फर्द में प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या एक से छः के आवागमन हेतु चाहे गये वांछित रास्ते की ही जांच किया जाना प्रकट होता है। अपीलांट्स की ओर से उक्त मौका फर्द पर आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा पुनः मौका फर्द तलब किया जाना प्रकट होता है। नवीन मौका रिपोर्ट दिनांक 18.07.2019 के मुताबिक प्रार्थीगण/रेस्पो. के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते का लघुतम एवं निकटतम बताया गया है।

अपीलांट्स का कथन है कि वे मौका फर्द में दर्शित नजरी नक्शे अनुसार अपने खेत खसरा नंबर 408 के बीच में से रास्ता देने हेतु सहमत है, ताकि उक्त रास्ता

अपीलांट्स की ढाणी से होते हुए सभी पक्षकारान् के आवागमन हेतु काम आ सके। वही रेस्पो. पक्ष का कथन है कि अपीलांट्स के अलावा अन्य सभी खसरान् के खातेदार अपीलाधीन रास्ते से सहमत है। अपीलांट्स द्वारा सभी खसरान् को रास्ते से नहीं जोड़ने की नियत से अपने खेत के बीच में से रास्ता देने की सहमति जतायी है। उभय पक्ष के उक्त कथनों के परिप्रेक्ष्य में मौका फर्द दिनांक 18.07.2019 के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलाधीन रास्ते से खसरा नंबर 415, 414, 412,412, 409, 410, 411, 426, 427 एवं 428 का जुड़ाव गैर मुमकिन सड़क से होता है। उक्त रास्ता सभी खसरों को सड़क जोड़ता है। दौराने बहस यह तथ्य प्रकट हुआ है कि खसरा नंबर 408 के अलावा अन्य सभी पक्षकार अपीलाधीन रास्ते से सहमत है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया रेस्पोडेंट्स के उक्त कथन की पुष्टि होती है कि अपीलांट्स अन्य खसरों को रास्ते की पहुंच से दूर रखने के उद्धेश्य से अपने खेत के बीच में से रास्ता देना चाहते है। विचारण न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारान् के हित एवं रास्ते की आवष्यकता को ध्यान में रखते हुए धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा के अनुरूप सभी खसरान् की सीमा के सहारे–सहारे से लघुतम एवं निकटतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेष में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 19/2017 कर्णसिंह उर्फ करणसिंह व अन्य बनाम हरीसिंह इत्यादि में पारित आदेष दिनांक 27 दिसंबर 2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर